अध्याय XII

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसयू के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में अनुरक्षित लेखों एवं अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया के समापन को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारिणी से उचित एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो।

लोकसभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न पैराग्राफों/ मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई सुधारात्मक/ संशोधक कार्रवाई को दर्शाते हुए टिप्पणियां (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने का अनुरोध (जुलाई 1985) किया। ऐसी टिप्पणियों को उन पैराग्राफों/ मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिनका चयन विस्तृत जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति (सीओपीयू) द्वारा नहीं किया गया था। उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए सीओपीयू ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट (1998-99:बारहवीं लोकसभा) में सिफारिश की:

- प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई पर टिप्पणियों (एटीएन) की प्रस्तुति को मॉनीटर करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना करना।

- विभिन्न मंत्रालयों के तहत कई पीएसयू के पैरा वाली रिपोर्ट के संबंध में एटीएन की प्रस्तुति को मॉनीटर करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना करना; और

- संसद में प्रस्तुत सीएजी के सभी प्रतिवेदनों के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित अनुवर्ती एटीएन सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की तिथि से छः माह के अन्दर समिति को प्रस्तुत करना।

उपरोक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए, सीओपीयू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000: तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई को भिन्न-भिन्न उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में शामिल टिप्पणियों पर विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई को

मॉनीटर करने के लिए डीपीई में ही एक पृथक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। तदनुसार, संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों द्वारा एटीएन प्रस्तुत करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई को मॉनीटर करने के लिए अगस्त 2000 से डीपीई में एक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। सीएजी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर एटीएन को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अंदर भी निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पीएसयू से संबंधित पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में शामिल 54 संव्यवहार लेखापरीक्षा/ अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों/ समीक्षाओं और तीन निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उपचारात्मक/ सुधारात्मक एटीएन, जांच हेतु लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए थे जिनका ***अनुलग्नक-VIII*** में ब्यौरा दिया गया है।

(आर जी विश्वनाथन)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक: 29 नवम्बर 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 29 नवम्बर 2021